(80)

निग 1144 – II – 16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–दतिया

1– राधाचरण पुत्र श्री सीताराम गुप्ता
2– राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री राधाचरण गुप्ता
3– धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री राधाचरण गुप्ता
4– रमेश चन्द पुत्र स्व. श्री नारायण दास गुप्ता
5– रामगोपाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री नारायण दास
6– अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री नारायण दास
निवासीगण–बडोनी खुर्द तहसील बडोनी जिला दतिया (म.प्र.)
7– सुनील कुमार पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता
निवासी–बडोनी खुर्द तहसील बडोनी जिला दतिया (म.प्र.)
8– श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री शिवचरण नोगरईया पुत्री स्व. श्री नारायण दास गुप्ता
निवासी – पुराना गाडी अड्डा रोड, डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)
9– श्रीमती उषा देवी पुत्री स्व. श्री नारायण दास गुप्ता पत्नी श्री राकेश कुमार गुप्ता
निवासी – मेन बाजार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ जिला – दतिया (म.प्र.)
10– राजेश कुमार पुत्र स्व. श्री नारायण दास गुप्ता
11– श्रीमती गायत्री देवी पत्नी मैथलीशरण
निवासी–बडोनी खुर्द तहसील बडोनी जिला दतिया (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरुद्ध

1– श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी ओमप्रकाश गुप्ता पुत्री श्री राधेश्याम गुप्ता
निवासी–बडोनी खुर्द हाल निवास चन्द्रवदनी नाका, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
2– ममता देवी पत्नी राजेश कुमार गुप्ता
निवासी–बडोनी खुर्द तहसील बडोनी जिला दतिया (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1144—दो/2016 जिला—दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
10-6-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 216/2015—16 अपील में पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू—राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2— प्रकरण का सारांश यह है कि अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा कृ णा देवी की ओर से प्रस्तुत अपील क्रमांक 216/ 2015—16 में एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 15.03.2016 को जारी किया गया था तत्पश्चात् उक्त स्थगन आदेश को आगामी पेशी दिनांक 25.07.2016 तक बढ़ाया गया है, किन्तु प्रकरण में वर्तमान समय तक आवेदकगण को सूचनापत्र तामील नहीं हुए है और स्थगन के परिणाम स्वरूप स्थल पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 31.05.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण निराकरण आगामी तीन माह में विधिवत रूप से करें। सदस्य	